दिनांक: 16.12.2025

-प्रेस नोट-

थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा बाद पुलिस मुठभेड़ गोकशी के मुकदमें में वांछित 25,000/- रुपये का पुरस्कार घोषित 01 गौकश घायलवस्था में गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा .315 बोर, 01 जिन्दा/01 खोखा.315 बोर व 01 बिना नम्बर प्लेट की मोटरसाइकिल बरामद

अवगत कराना है कि **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में हत्या, गोकशी, चोरी, लूट, डकैती, नकबजनी, छिनैती आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व इन घटनाओं में संलिप्त अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार सघन गस्त/चैकिंग की जा रही है।**

इसी क्रम में दिनांक 15.12.2025 की रात्रि को थाना मिर्जापुर पुलिस टीम द्वारा मिर्जापुर से बादशागीबाग जाने वाली रोड़ पर कासिमपुर पुलिया पर संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की चैकिंग की जा रही थी।तभी मिर्जापुर की तरफ से एक मोटरसाइकिल पर सवार दो व्यक्ति आते दिखायी दिये, संदिग्ध प्रतीत होने पर पुलिस टीम द्वारा टार्च की रोशनी दिखाकर उन्हें रुकने का इशारा किया गया । पुलिस टीम को देखकर मोटरसाइकिल सवार संदिग्धों ने हड़बड़ी में मोटरसाइकिल मोड़कर वापिस ग्राम पाडली की तरफ जाने वाले कच्चे रास्ते की तरफ भागने लगे । पुलिस टीम द्वारा बदमाशो का पीछा किया गया, कुछ दुरी पर जाकर मोटरसाइकिल फिसल कर गिर गयी पुलिस टीम को अपने नजदीक आता देख बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर खेतों की तरफ भागने का प्रयास करने लगे।पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगने से घायलवस्था में गिरफ्तार किया गया एंव 01 अन्य बदमाश अंधेरे व जंगल का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। फरार बदमाश की तलाश हेतु लगातार कॉम्बिंग की जा रही है । गिरफ्तार/घायल बदमाश की पहचान **शौकीन पुत्र शकील निवासी ग्राम रायपुर थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर** के रूप में हुई । घायल बदमाश को प्राथमिक उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त शौकीन उपरोक्त थाना मिर्जापुर पर पंजीकृत 1. मु0अ0सं0 229/2025 धारा 3/5/8 गोवध अधिनियम व 2. मु0अ0स0 234/125 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट का वांछित अभियुक्त है जिसके विरुद्ध थाना मिर्जापुर पर गैंगस्टर, गोकशी, मादक पदार्थों की तस्करी जैसी संगीन धाराओं में आधा दर्जन के करीब मुकदमें दर्ज हैं । अभियुक्त थाना मिर्जापुर पर पंजीकृत गोकशी के मुकदमें में 25000 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित अपराधी है । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना मिर्जापुर पर मु0अ0स0 298/25 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25/27 आयुध अधि0 पंजीकृत किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्त शौकीन उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि मै और मेरे साथ रात के समय आवारा घूमते पशुओ को पकड़कर जंगल में सुनसान जगह ले जाकर उनका कटान कर देते है और मांस को बेच देते है, जो पैसे मिलते है उसको आपस में बराबर हिस्से में बांट लेते है । इस काम में अच्छा मुनाफा हो जाता है। कल

गिरफ्तार/घायल अभियुक्त का नाम व पताः-

शौकीन पुत्र शकील निवासी ग्राम रायपुर थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर ।

बरामदगी का विवरण -

☞01 तमंचा .315 बोर,

☞01 जिंदा कारतूस .315 बोर,

☞01 खोखा कारतूस.315 बोर,

☞01 बिना नम्बर प्लेट मोटर साइकिल

अभियुक्त शौकीन उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0स0 03/2022 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट व थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0स0 56/2022 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर
3. मु0अ0स0 150/2022 धारा 8/20 एनडीपी एक्ट थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर
4. मु0अ0स0 70/2024 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर।
5. मु0अ0स0 229/2025 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर **(वांछित और ईनामी)**
6. मु0अ0स0 234/2025 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट थाना मिर्जापुर सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 सतीश कुमार थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 सचिन त्यागी थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर
4. हेका0 1318 दीपक शर्मा थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर
5. हे0का0 739 ललित तोमर थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर
6. का0 2469 दीपक कुमार थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर

दिनांक: 16.12.2025

-प्रेस नोट-

थाना मण्डी पुलिस द्वारा बाद पुलिस मुठभेड़ हत्या के प्रयास के मुकदमें में 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित वांछित अभियुक्त घायलावस्था में गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा .315 बोर, 02 खोखा/02 जिंदा कारतूस .315 बोर, 01 बिना नम्बर प्लेट की मोटरसाइकिल एंव 01 जानलेवा हत्या के प्रयास की घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद

अवगत कराना है कि **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर** के निर्देशन में जनपद में हत्या, गोकशी, चोरी, लूट, डकैती, नकबजनी, छिनैती आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व इन घटनाओं में संलिप्त अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार सघन गस्त/चैकिंग की जा रही है।

इसी क्रम में दिनांक 15.12.2025 की रात्रि को थाना मण्डी पुलिस टीम द्वारा खातोखेड़ी की तरफ जाने वाली रोड़ पर संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की चैकिंग की जा रही थ, तभी 62 फुटा कच्चा रोड की तरफ से एक मोटरसाइकिल पर सवार दो व्यक्ति आते दिखायी दिये, संदिग्ध प्रतीत होने पर पुलिस टीम द्वारा टार्च की रोशनी दिखाकर उन्हें रुकने का इशारा किया गया । पुलिस टीम को देखकर मोटरसाइकिल सवार संदिग्ध बदमाशों ने पुलिस टीम पर जाने से मारने की नियत से फायरिंग कर मोटरसाइकिल मोड़कर शक्लापुरी की तरफ जाने वाले कच्चे रास्ते पर भागने लगे, जिस पर पुलिस टीम द्वारा बदमाशो का पीछा किया गया तो कुछ दुरी पर जाकर मोटरसाइकिल फिसल कर गिर गयी, पुलिस टीम को अपने नजदीक आता देख बदमाशों ने पुनः पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी और जंगल की तरफ भागने लगे, पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगने से घायलवस्था में गिरफ्तार किया गया एवं 01 अन्य बदमाश अंधेरे व जंगल का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। फरार बदमाश की तलाश हेतु लगातार कॉम्बिंग की जा रही है । गिरफ्तार/घायल बदमाश की पहचान **जावेद पुत्र अल्लादिया निवासी गली नं0 6, पीर वाली गली थाना मण्डी जनपद सहारनपुर** के रूप में हुई । घायल बदमाश को प्राथमिक उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है । गिरफ्तार/घायल बदमाश **के कब्जे से 01 तमंचा .315 बोर, 02 खोखा/ 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर, 01 बिना नम्बर प्लेट की मोटरसाइकिल एवं हत्या के प्रयास की घटना में प्रयुक्त 01 अदद नाजायज चाकू** बरामद । गिरफ्तार अभियुक्त थाना मण्डी सहारनपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 543/25 धारा 109,352 बीएनएस मे 25,000/- रूपये का पुरस्कार घोषित अपराधी है जो उक्त मुकदमें में वांछित चल रहा था। जिसके विरुद्ध जनपद सहारनपुर के विभिन्न थानों पर गौकशी, गैंगस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट,एनडीपीएस,चोरी व लूट जैसे संगीन अपराधों में लगभग डेढ दर्जन से अधिक मुकदमें पंजीकृत है । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना मण्डी पर मु0अ0सं0 544/2025 धारा 109(1) बीएनएस/ 317(5) बीएनएस व धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

जावेद पुत्र अल्लादिया निवासी गली न-16 मौहल्ला पीर वाली निकट छप्पर वाली मस्जिद थाना मण्डी, सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

- 01 तमंचा .315 बोर,
- 02 खोखा/02 जिंदा कारतूस .315 बोर,

- 01 बिना नम्बर प्लेट की मोटरसाइकिल
- 01 हत्या के प्रयास की घटना में प्रयुक्त चाकू

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 69/19 धारा 380,457 भादवि थाना चिलकाना, सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 535/19 धारा 399,402 भादवि थाना चिलकाना, सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 536/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना चिलकाना, सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 51/20 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप(निवारण) अधि0 थाना चिलकाना
5. मु0अ0सं0 47/23 धारा 120बी,391,411,420,465 भादवि थाना कोतवाली देहात, सहारनपुर
6. मु0अ0सं0 393/23 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप(निवारण) अधि0 थाना को0देहात
7. मु0अ0सं0 272/22 धारा 392,411 भादवि थाना कुतुबशेर, सहारनपुर
8. मु0अ0सं0 290/22 धारा 392,411 भादवि थाना कुतुबशेर, सहारनपुर
9. मु0अ0सं0 132/18 धारा 147,148,161,323,504,506 भादवि थाना मण्डी, सहारनपुर
10. मु0अ0सं0 228/23 धारा 323,325,504 भादवि थाना मण्डी, सहारनपुर
11. मु0अ0सं0 128/24 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना मण्डी, सहारनपुर
12. मु0अ0सं0 448/25 धारा 115(2),351(3) बीएनएस थाना मण्डी, सहारनपुर
13. मु0अ0सं0 543/25 धारा 109,352 बीएनएस थाना मण्डी, सहारनपुर
14. मु0अ0सं0 178/19 धारा 392,411 भादवि थाना सदर बाजार सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री रोजन्त त्यागी थाना मण्डी, सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री विकास चारण थाना मण्डी, सहारनपुर,
3. उ0नि0 श्री अवशेष भाटी थाना मण्डी, सहारनपुर
4. है0का0 02 कमल कौशिक थाना मण्डी, सहारनपुर
5. है0का0 521 सुनील राणा थाना मण्डी, सहारनपुर
6. है0का0 633 फुरकान अली थाना मण्डी, सहारनपुर
7. है0का0 100 राहुल त्यागी थाना मण्डी, सहारनपुर
8. का0 500 विकल सोम थाना मण्डी, सहारनपुर
9. का0 1039 शोएब मिर्जा थाना मण्डी, सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांक: 16-12-2025

सहारनपुर पुलिस की बड़ी कार्यवाही —
थाना नकुड़ पुलिस द्वारा हत्या का प्रयास करने वाले 02 वांछित अभियुक्तगण गिरफ्तार

घटना का विवरण: –

अवगत कराना है कि 09.12.2025 को वादी मोहकम सिंह पुत्र पहल सिंह निवासी ग्राम तिरपडी थाना नकुड़, सहारनपुर द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण 1.ओरिश पुत्र अनीश 2. अनीश पुत्र जिन्दा व 3.रहीश पुत्र जिन्दा 4.अकरम पुत्र जिन्दा 5.जीशान पुत्र अकरम निवासीगण ग्राम तिरपडी थाना नकुड जनपद सहारनपुर द्वारा अपने हाथो में देशी तमन्चे लेकर वादी के घर में घुसकर जान से मारने की नियत से तमन्चे से फायर करना जिसमे वादी का बाल बाल बचना तथा सतीश पुत्र घासीराम व नरेन्द्र पुत्र पहल सिंह निवासी उपरोक्त को गोली लगकर घायल हो जाने व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नकुड पर मु0अ0स0- 576/2025 धारा 196/191(2)/191(3)/190/333/352/351(3) /109(1/3(5) बीएनएस पंजीकृत किया गया था। अभियुक्तगण 1.ओरिश पुत्र अनीश 2. अनीश पुत्र जिन्दा व 3. रहीश पुत्र जिन्दा को पूर्व में ही घटना में प्रयुक्त अवैध अस्लाह की बरामदगी करते हुए गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

पुलिस कार्यवाही: –

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्तगण की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिए गये, जिनके क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में दिनांक 15.12.2025 को थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्तगण ***1.अकरम पुत्र जिन्दा 2.जीशान पुत्र अकरम निवासीगण ग्राम तिरपडी थाना नकुड जनपद सहारनपुर*** *को ग्राम ढकदेई बस अड्डे के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण:-

1. अकरम पुत्र जिन्दा निवासी ग्राम तिरपडी थाना नकुड जिला सहारनपुर।
2. जीशान पुत्र अकरम निवासी ग्राम तिरपडी थाना नकुड जिला सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री विरेन्द्र कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 263 सचिन कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
4. है0का0 412 शाहरून हसन थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।
5. है0का0 563 अमित थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।

दिनांक: 16-12-2025

-प्रेस नोट-

थाना बडगाँव पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से शराब कसीदगी के उपकरण तथा 60 लीटर कच्ची शराब व 180 लीटर लहन बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम एव अवैध मदिरा के निर्माण/बिक्री/तस्करी के अपराधो में संलिप्त अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक बडगाँव श्री रमेश चन्द्र सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना बडगांव पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 16.12.2025 को 01 अभियुक्त **नितिन पुत्र दिनेश निवासी ग्राम खुदाबख्शपुर माजरा थाना बडगांव जनपद सहारनपुर** को मुखबिर की सूचना पर उसके मसकन से मय शराब की भट्टी (शराब कसीदगी के उपकरणों) एवं 60 लीटर कच्ची शराब खाम/180 लीटर लहन के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना बडगांव पर मु0अ0सं0 253/25 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को आवश्यक कार्यवाही हेतु मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

नितिन पुत्र दिनेश निवासी ग्राम खुदाबख्शपुर माजरा थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण

- 60 लीटर कच्ची शराब
- 180 लीटर लहन
- शराब कसीदगी के उपकरण (01 सिलेण्डर, 01 बर्नर पाईप,01 लोहे का ड्रम मय पाईप,01 तसला एल्यूमिनियम, 01 लोहे की प्लेट, 01 प्लास्टिक की जरीकैन व 01 डिब्बा (जो लहन से भरा हुआ था),01 प्लास्टिक की बोतल अधकटी, 01 डिब्बा प्लास्टिक व 01 बोतल प्लास्टिक)

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 75/14 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।
2. मु0अ0सं0 283/25 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम-

1. श्री रमेश चन्द्र सिंह प्र0नि0 थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री लाखन सिंह थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।
3. कां0 1569 अमरदीप थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।
4. कां0 96 विक्रान्त थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।
5. हो0गा0 2077 सतीश कुमार थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।

दिनांक 16.12.2025

-प्रेस नोट-

"ऑपरेशन सवेरा"

"नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"

□ सहारनपुर पुलिस की नशा तस्करों के विरूद्ध कडी कार्यवाही □

थाना फतेहपुर पुलिस टीम का मादक पदार्थ तस्करी पर करारा प्रहार — 01 तस्कर गिरफ्तार, कुल 135 ग्राम अवैध चरस बरामद

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा मादक पदार्थों / नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबंन्धित दवाओं की तस्करी / बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदो में **"ऑपरेशन सवेरा" – "नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"** अभियान चलाया जा रहा है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में नशीलें पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व नशे के कारोबार मे शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान "आपरेशन सवेरा" के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण मे तथा थानाध्यक्ष विनय कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व में थाना फतेहपुर पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 16.12.2025 को चैकिंग के दौरान 01 नशा तस्कर/अभियुक्त **जुनैद पुत्र मुसर्रफ निवासी ग्राम गन्देवडा थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर** को मेन बिजलीघर के पास मेन रोड़ से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से कुल 135 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना फतेहपुर पर मु0अ0स0 377/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट में पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में FORWARD AND BACKWARD लिंको की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किये जा रहे है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

जुनैद पुत्र मुसर्रफ निवासी ग्राम गन्देवडा थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण:-

- 135 ग्राम अवैध चरस बरामद

गिरफ्तार अभियुक्त का अपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0स0 380/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. थानाध्यक्ष श्री विनय कुमार शर्मा थाना फतेहपुर सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री अमित सोनी थाना फतेहपुर सहारनपुर।
3. है0का0 307 प्रदीप कुमार थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर।
4. हे0का0 961 रोहित राणा थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर।
5. हे0का0 1323 कुलदीप थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर।

दिनांक: 16.12.2025

-प्रेस नोट-

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा बाद पुलिस मुठभेड़ गोकशी के मुकदमें में वांछित/ हिस्ट्रीशीटर घायलवस्था में व 01 अन्य गौकश को काम्बिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया, अभियुक्तो के कब्जे से 02 तमंचे .315 बोर, 05 जिन्दा/02 खोखा.315 बोर, 01 मोटरसाइकिल व गौकशी करने के उपकरण बरामद

अवगत कराना है कि **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर** के निर्देशन में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में जनपदीय पुलिस द्वारा हत्या, गोकशी, चोरी, लूट, डकैती, नकबजनी, छिनैती आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व इन घटनाओं में संलिप्त अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार सघन गस्त/चैकिंग की जा रही है।

इसी क्रम में दिनांक 15.12.2025 की रात्रि को कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा नंदी फिरोजपुर जाने वाले रास्ते पर अंडरपास के पास संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की चैकिंग कर रहे थे। तभी ढमोली नदी की तरफ से आने वाली चकरोड़ पर एक मोटरसाइकिल पर सवार दो व्यक्ति आते दिखायी दिये, संदिग्ध प्रतीत होने पर पुलिस टीम द्वारा टार्च की रोशनी दिखाकर उन्हें रुकने का इशारा किया गया, तो पुलिस टीम को देखकर मोटरसाइकिल सवार संदिग्धों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी और मोटरसाइकिल मोड़कर वापिस जंगल की ओर भागे पुलिस टीम द्वारा बदमाशो का पीछा किया गया तो कुछ दूरी पर जाकर मोटरसाइकिल फिसल कर गिर गयी, पुलिस टीम को अपने नजदीक आता देख बदमाशों ने पुनः जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी और जंगल की तरफ भागने लगे, इस पर पुलिस टीम की आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगने से घायलवस्था में गिरफ्तार किया गया एवं 01 अन्य बदमाश अंधेरे व जंगल का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया । गिरफ्तार/घायल बदमाश की पहचान **शोएब पुत्र इरफान निवासी घानाखंडी थाना जनपद सहारनपुर** के रूप में हुई । फरार बदमाश को कॉम्बिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया । घायल बदमाश को प्राथमिक उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गिरफ्तार/घायल बदमाश थाना कोतवाली देहात का हिस्ट्रीशीटर अपराधी है, जिसके विरुद्ध जनपद सहारनपुर के विभिन्न थानों पर गौकशी, गैंगस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट व लूट जैसी संगीन धाराओं में लगभग डेढ़ दर्जन से अधिक मुकदमें पंजीकृत है । एक अन्य गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान **परवेज उर्फ भूरा पुत्र इकराम निवासी घाणाखंडी थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर** के रुप में हुई । गिरफ्तार/घायल **अभियुक्त शोएब व अभियुक्त परवेज थाना कोतवाली देहात पर पंजीकृत मु0अ0सं0 624/2025 धारा 3/5/8 गोवध अधिनियम में वांछित** चल रहे थे । गिरफ्तार दोनो अभियुक्तों के **कब्जे से 02 तमंचे .315 बोर, 02 खोखा/ 05 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद, 01 मोटरसाइकिल व गौकशी करने के उपकरण** बरामद हुए । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0 663/2025 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट के पंजीकृत किया गया । गिरफ्तार अभियुक्तगम के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1- शोएब पुत्र इरफान निवासी ग्राम घानाखण्डी थाना कोतवाली देहात सहारनपुर **(घायल)**

2- परवेज उर्फ भूरा पुत्र इकराम निवासी ग्राम घानाखण्डी थाना कोतवाली देहात सहारनपुर

अभियुक्त शोएब उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 141/2022 धारा 3/5/8 गौवध अधि थाना बिहारीगढ
2. मु0अ0सं0 152/2022 धारा 307 थाना बिहारीगढ
3. मु0अ0सं0 155/2022 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बिहारीगढ
4. मु0अ0सं0 156/2022 धारा 3/5ए/8 गौवध अधि व 3/11 पशु क्रुरता थाना बिहारीगढ
5. मु0अ0सं0 157/2022 धारा 414 भादवि थाना बिहारीगढ
6. मु0अ0सं0 228/2022 धारा 2/3 गैगेस्टर एक्ट थाना बिहारीगढ
7. मु0अ0सं0 390/2023 धारा 120बी/380/411/457 भादवि थाना बेहट
8. मु0अ0सं0 412/2023 धारा 120बी /379/411 भादवि थाना बेहट
9. मु0अ0सं0 420/2023 धारा 120बी /379/411 भादवि थाना बेहट
10. मु0अ0सं0 477/2023 धारा 307/420 भादवि व 3/4/25 आर्म्स एक्ट थाना बेहट
11. मु0अ0सं0 36/2024 धारा 307/414 भादवि व 3/25/27 थाना बेहट
12. मु0अ0सं0 63/2024 धारा 307/414 भादवि व 3/25/27 थाना बेहट
13. मु0अ0सं0 22/2025 धारा 2/3 गैगेस्टर एक्ट थाना बेहट
14. मु0अ0सं0 172/2024 धारा 305ए/317(2) बीएनएस थाना फतेहपुर
15. मु0अ0सं0 173/2024 धारा 305ए/317(2) बीएनएस थाना फतेहपुर
16. मु0अ0सं0 624/2025 धारा 3/5ए/8 गौवध अधि0 थाना को0 देहात

अभियुक्त परवेज उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 624/2025 धारा 3/5ए/8 गौवध अधि0 थाना को0 देहात

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सूबे सिंह थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री नरेन्द्र सिंह भडाना थाना कोतवाली देहात जनपद सरहारनपुर।
3. उ0नि0 श्री संजय कुमार राणा थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर
4. है0का0 गौतम सिंह थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर
5. हे0का0 इरफान थाना कोतवाली देहात जनपद सरहारनपुर।
6. हे0का0 बाबू सिंह थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर

दिनांक 16.12.2025

-प्रेस नोट-

थाना नकुड़ साइबर हेल्प डैस्क टीम द्वारा साइबर फ्रॉड मे ठगी गयी कुल 33,000/- रूपये की शतप्रतिशत धनराशि पीडित के खाते में करायी गयी वापस

घटना का विवरणः-

दिनांक 26.11.2025 को पीडित मोहित कुमार पुत्र कुलबीर सिंह निवासी ग्राम पिलखना थाना नकुड जनपद सहारनपुर की लिखित प्रार्थना पत्र बाबत अपना क्रेडिट कार्ड अपडेट कराते समय आनलाइन साइबर फ्राड के माध्यम से कुल 33,000/- रूपये की ठगी हो जाने की सूचना पर के सम्बन्ध में थाना नकुड़ पर आकर सूचना दी, जिस पर थाना नकुड़ साइबर हेल्पडेस्क टीम द्वारा NCRP PORTAL पर शिकायत सं0 33111250169071 दर्ज करायी थी।

पुलिस कार्यवाहीः-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में साइबर अपराध की रोकथाम व साइबर फ्राड में ठगी गयी धनराशि पीडितों के खाते में वापस कराये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर/नोडल अधिकारी (साइबर अपराध) व पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नुकड़ के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में थाना नकुड़ साइबर हेल्पडेस्क टीम द्वारा शिकायत संख्या 33111250169071 में प्रभावी कार्यवाही करते हुए सम्बन्धित बैंक से सम्पर्क कर पीडित मोहित कुमार पुत्र कुलबीर सिंह निवासी ग्राम पिलखना थाना नकुड जनपद सहारनपुर के साइबर फ्रॉड मे ठगी गयी धनराशि बैंक के माध्यम से होल्ड करायी गयी थी।

इसी क्रम में थाना नकुड़ साइबर हेल्पडेस्क टीम द्वारा उपरोक्त साइबर शिकायत संख्या में प्रभावी कार्यवाही करते कुल 33,000/- रूपये की शतप्रतिशत धनराशि पीडित के खाते में वापस करायी गयी।

धनराशि वापस कराने वाली साइबर हेल्पडेस्क पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
2. कम्पयूटर आपरेटर हर्षित कुमार थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर
3. कां0 2194 लक्ष्मण प्रसाद थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।

CAUTION- किसी भी अन्जान व्यक्ति के साथ ओटीपी शेयर न करे, जालसाजों से सावधान रहे एवं किसी भी प्रकार का साइबर फ्राड होने पर साइबर हेल्प लाईन नम्बर 1930 या WWW.CYBERCRIME.GOV.IN पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कराये।

-प्रेस नोट-

दिनांक 16.12.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह, सहारनपुर पुलिस द्वारा हत्या के मुकदमें में 01 एनबीडब्लू वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चैकिंग व गश्त की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक गंगोह श्री पीयूष दीक्षित के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 16.12.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना गंगोह पुलिस द्वारा चैकिंग व गश्त के दौरान 01 वारण्टी / **अभियुक्त अमित पुत्र मोल्हड़ निवासी ग्राम मुबारिकपुर थाना गंगोह जनपद सहारनपुर** को सम्बन्धित विचारण सं0 601/2002 फौजदारी अपील सं0 6426/2003 धारा 302/34/364/201 भादवि मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में ग्राम सराजपुर तकीपुर तिराहे से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1. अमित पुत्र मोल्हड निवासी ग्राम मुबारिकपुर थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री अशोक कुमार कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
2. हे0का0 639 मुकेश कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
3. हे0का0 12 अंकुश गौदरा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
4. का0 326 रिंकू कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

दिनांक 16.12.2025

-प्रेस नोट-

सहारनपुर पुलिस

सड़क सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकताः सहारनपुर पुलिस द्वारा दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु क्रिटिकल कॉरिडोर टीमों की तैनाती, नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान और सर्दी में विशेष सतर्कता

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद सहारनपुर के स्पष्ट एवं सख्त निर्देशन में जनपद में यातायात व्यवस्था को सुदृढ, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित बनाए रखने तथा सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी अकुश लगाने के उद्देश्य से एक व्यापक, समन्वित एवं सतत रोड सेफ्टी अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करना, दुर्घटनाओं में कमी लाना तथा सड़क पर अनुशासित यातायात संस्कृति विकसित करना है।

- **क्रिटिकल कॉरिडोर टीमों की तैनाती-** यातायात व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु यातायात पुलिस के साथ साथ जनपट के समस्त थानों पर क्रिटिकल कॉरिडोर टीमों का गठन किया गया है। ये टीमें दुर्घटना संभावित मागों, ब्लैक स्पॉट्स, भीड़भाड़ वाले चौराहों, राष्ट्रीय एवं राज्य मागों पर निस्तर निगरानी रखते हुए यातायात को सुचारू बनाए रखने का कार्य कर रही हैं। इसके साथ ही नियमों का उल्लघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।
- **यातायात नियमों के पालन हेतु संघन जागरूकता अभियान-** क्रिटिकल कॉरिडोर टीम चाहन चालकों को हेलमेट सीट बेल्ट निर्धारित गति सीमा, लेन ड्राइविंग, ओवरलोडिंग न करने, मोबाइल फोन का प्रयोग न करने जैसे महत्वपूर्ण यातायात नियमों के प्रति निरंतर जागरूक कर रही है। आमजन को यह सटेश दिया जा रहा है कि यातायात नियम केवल कानून नहीं, बल्कि जीवन रक्षा का माध्यम है।
- **सड़क दुर्घटना की स्थिति में त्वरित सहत एवं चिकित्सा सुविधा-** किसी भी सड़क दुर्घटना की स्थिति में घायलों को तत्काल नजदीकी अस्पताल पहुंचाकर समुचित उपचार उपलब्ध कराना इस अभियान का प्रमुख हिस्सा है। पुलिस कर्मियों को निर्देशित किया गया है कि दुर्घटना के बाद 'गोल्डन आवर का पूर्ण ध्यान रखते हुए बिना किसी देरी के राहत कार्य सुनिश्रित किया जाए, जिससे जनहानि को न्यूनतम किया जा सके।
- **"नो हेलमेट - नो पयूल" अभियान का कड़ाई से अनुपालन-** दोपहिया वाहन बालको की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जनपद के समस्त पेट्रोल पंपों पर नो हेलमेट-नो क्यूल अभियान को प्रभावी रूप से लागू कराया जा रहा है। पेट्रोल पप सचालको को स्पष्ट निर्देश दिए गए है कि बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन चालकों को ईंधन न दिया जाए, जिससे हेलमेट पहनने की आदत को बढ़ावा मिल सके।
- **सर्दी एवं कोहरे के मौसम में विशेष सावधानी-** वर्तमान शीतकालीन मौसम में कोहरे के कारण दृश्यता कम हो जाती है, जिससे सड़क दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है। इसे ध्यान में रखते हुए वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप लगाए जा रहे हैं, ताकि वाहनों की दृश्यता बढ़ाई जा सके। विशेष रूप से ट्रैक्टर-ट्रॉली, भारी वाहन एवं धीमी गति से चलने वाले वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाने पर जोर दिया जा रहा है।
- **नशा एवं नींद में वाहन चलाने के विरुद्ध सख्त संदेश-** वाहन चालकों को यह स्पष्ट रूप से जागरूक किया जा रहा है कि नशे अथवा नींद की अवस्था में वाहन चलाना अत्यंत घातक है। इस प्रकार की लापरवाही न केवल चालक के लिए बल्कि अन्य राहगीरों के लिए भी जानलेवा साबित हो सकती है। ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई के साथ-साथ जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जा रहे है।
- **जनसहयोग से सक्षित यातायात का संकल्प-** सहारनपुर पुलिस जनपद के समस्त नागरिकों से अपील करती है कि वे यातायात नियमों का पूर्ण पालन करें, पुलिस प्रशासन का सहयोग करें तथा स्वयं भी दूसरों को सुरक्षित यातायात के लिए प्रेरित करो जनसहयोग से ही सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकती है और सुरक्षित, अनुशासित एवं जिम्मेदार यातायात व्यवस्था को साकार किया जा सकता है।

दिनांकः 16.12.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

सहारनपुर में जमीनी विवादों पर पुलिस का सख्त पहरा,सी-प्लान एप से बीट स्तर पर निगरानी-512 विवाद चिन्हित, त्वरित कार्रवाई शुरू

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाए रखने तथा जमीनी/संपत्ति विवादों के कारण उत्पन्न होने वाली संभावित बड़ी घटनाओं की रोकथाम हेतु दिनांक 15.12.2025 को एक विशेष एवं लक्षित अभियान संचालित किया जा रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य विवादों की प्रारंभिक पहचान, समय रहते वैधानिक कार्रवाई तथा जनपद में शांति एवं सौहार्द बनाए रखना है।

➢ ***बीट स्तर पर सक्रिय निगरानी***

इस विशेष अभियान के अंतर्गत जनपद के समस्त थानों पर तैनात प्रत्येक बीट हैड कांस्टेबल/ कांस्टेबल को अपनी-अपनी बीट में जमीनी एवं संपत्ति विवादों की जानकारी जुटाने हेतु सक्रिय किया गया है। बीट कांस्टेबल अपने क्षेत्र के नागरिकों से **सी-प्लान एप के माध्यम से कॉल कर संवाद स्थापित** कर रहे हैं, जिससे किसी भी प्रकार के विवाद की जानकारी प्रारंभिक स्तर पर ही प्राप्त हो सके। इस अभियान के अंतर्गत **जनपद में कुल 512 बीट सूचनाएँ जमीनी विवादों से संबंधित अंकित की गई**, जिन पर संबंधित थानों द्वारा **प्रभावी, समयबद्ध एवं वैधानिक कार्यवाही** की जा रही है, ताकि विवादों को प्रारंभिक स्तर पर ही नियंत्रित किया जा सके।

➢ ***सी-प्लान एप के माध्यम से प्रभावी सूचना संकलन***

सी-प्लान एप का उपयोग कर बीट कांस्टेबल अपने बीट क्षेत्र में संभावित अथवा विद्यमान जमीनी विवादों की जानकारी एकत्र कर रहे हैं। किसी भी प्रकार का विवाद पाए जाने पर संबंधित थाने में **बीट सूचना अंकित** कराई जा रही है, प्राप्त सूचनाओं के आधार पर थाना स्तर पर दोनों पक्षों को बुलाकर समझौते का प्रयास, राजस्व एवं अन्य संबंधित विभागों से समन्वय तथा आवश्यकता पड़ने पर विधिक प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई कर विवाद को बढ़ने से रोका जा रहा है।

➢ ***बड़ी घटनाओं की रोकथाम एवं शांति व्यवस्था सुनिश्चित***

अक्सर जमीनी एवं संपत्ति विवाद छोटे स्तर से प्रारंभ होकर गंभीर आपराधिक घटनाओं का रूप ले लेते हैं। इस विशेष अभियान के माध्यम से ऐसे विवादों की **पूर्व पहचान कर समय रहते समाधान** किया जा रहा है, जिससे किसी भी प्रकार की अप्रिय या बड़ी घटना को रोका जा सके।

सहारनपुर पुलिस इस विशेष अभियान के माध्यम से जनपद में शांति, सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है तथा भविष्य में भी इस प्रकार के जनोपयोगी अभियान निरंतर जारी रहेंगे।